रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2004/आषाढ़ 1, 1926

No. 560] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2004/ASADHA 1, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2004

का. आ. 721 (अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, निदेश देते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमण और दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें प्रशासक के रूप में जाना जाता है अथवा राज्यपाल के रूप में) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेशों तक, अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों, धारा 82 और 83 को छोड़कर, के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे।

[फा. सं. यू०-11030/2/2003-यू०टी०एल०]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2004

S.O. 721(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators (whether known as Administrator or Lieutenant Governor) of the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep, shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), except sections 82 and 83, within their respective Union territories.

[F.No. U-11030/2/2003-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.